




कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।
विज्ञापि -- बास्ते लेखन सामग्री

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय-वर्ष 2016-17 (दि० 01.04.2016 से दि० 31.03.2017 तक) के लिए कार्यालय लेखन सामग्री, फार्मों की छापाई, कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी एवं फोटो कॉपियर मशीन तोरीबा ई-स्टूडियो 256 एवं 212 हेतु टोनर क्रय करने हेतु दि० 10.05.2016 को 04.00 बजे तक सील्ड बन्ड टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन समय 4.00 बजे क्रय समिति के सम्मूह खोले जायेंगे। नियत समय के पश्चात प्राप्त टेण्डरों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। टेण्डर हेतु धरोहर धनराशि रु० 5,000.00 नज़ारत अनुभाग में जमा करनी होगी, जो टेण्डर स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में वापस कर दी जायेगी। सामग्रियों का विवरण व टेण्डर के नियम व शर्तें नज़ारत अनुभाग व जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर तथा एन०आई०सी०/माननीय उच्च न्यायालय एवं इस अधिष्ठान की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।


(जनक सिंह)
सदस्य, क्रय एवं वित्त समिति/
विशेष न्यायाधीश,
एन०सी०/एन०टी०एक्ट
बाराबंकी।


(जनक कुमार)
सदस्य, क्रय एवं वित्त समिति/
विशेष न्यायाधीश,
ई०सी०एक्ट,
बाराबंकी।


(एन०सी० माननीय)
अध्यक्ष, क्रय एवं वित्त समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं० 01,
बाराबंकी।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना पट पर प्रस्था करने हेतु प्रेषित।

1. न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 2. माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 3. जिलाधिकारी/एन०आई०सी० की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 4. जिला सूचना अधिकारी को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- जनपद के समस्त मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चरपां करने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।
2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी।
4. कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी।
5. कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी बाराबंकी।
6. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चरपां करने हेतु।


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।

टेण्डर आमंत्रित करने हेतु नियम व शर्तें-


1. समस्त सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धित फर्म को पुस्तकालय/नजारत अनुभाग, जंजी बाराबंकी में स्वयं अपने खर्च पर पहुचानी होगी।
2. भुगतान भवनीय उच्च न्यायालय से अनुदान प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।
3. आवेदक को टेण्डर के साथ सामग्री का मूल्य व उसका ब्राण्ड का नाम अंकित कर संलग्न करना होगा।
4. किसी भी टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार जिला जज, बाराबंकी में निहित है, इसके लिए कारण बताने हेतु जिला जज, बाराबंकी बाध्य नहीं होंगे।
5. किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, बाराबंकी होगा।
6. फर्म का पंजीकरण ट्रेड टैक्स में होना अनिवार्य है।



(ज. क. सिंह)
सदस्य, क्रय एवं बित्त समिति/
विशेष न्यायाधीश,
एसओसी/एसओटीएक्ट
बाराबंकी।



(स. क. कुमार)
सदस्य, क्रय एवं बित्त समिति/
विशेष न्यायाधीश,
ईपीसीएक्ट,
बाराबंकी।



(एम. के. खान)
अध्यक्ष, क्रय एवं बित्त समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं 01,
बाराबंकी।